

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनुसचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 16 अगस्त, 2017

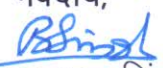
विषय :- पुखराया-घाटमपुर-बिन्दकी मार्ग (एस०एच०-46) के चौड़ीकरण हेतु कानपुर देहात में किमी० .000 से 21.000 तक 20.631 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 2026 वृक्षों के पातन कानपुर नगर में किमी० 22.000 से 54.000 तक 29.586 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 2889 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर में किमी० 55.000 से 82.220 तक 25.3065 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी 2 6743 वृक्षों के पातन कुल 75.5235 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक व उस पर अवस्थित 11658 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/06/44/2017/एफसी/141 दिनांक 14.08.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्सम्बन्धी अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2- विषयगत प्रकरण में प्रस्ताव की 02 प्रतियां भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 14.08.2017 में अंकित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : प्रस्ताव की 02 प्रति।

भवदीय,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।